□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य □□ □र्□□□□ □ल□□□ □त्र□□□
स्वास्थ्य □□ □र्□□□□ □ल□□□ □□□□□

□□ज□ □□□
□□□□□र्□□□ प्रश्□ □ख□□: 4123
03 □प्रै□, 2018 □□ □□□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□स□□□□ प्र□□ □□□□□ र्□□□-□□□□

4123. श्र□ □र्□□□□

क्या स्वास्थ्य और □र्□□□□ □ल□□□ □त्र□ यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने जच्चा बच्चा को सुरक्षा के संबंध म यह दिशा-निदंश जारी किया है कि अस्पतालों म योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ही सभी प्रसव कराये जाएं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने अस्पतालों म सौ फोसदी प्रसव के इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) किन राज्यों द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त नहों किया जा सका है; और

(घ) इन राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

□त्त□

स्वास्थ्य □□ □र्□□□□ □ल□□□ □□ज□ □त्र□ (श्र□ □□श्े□□□ □□□□ □□□□)□

(क): मंत्रालय ने अस्पतालों म योग्यता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निदंश जारी किए ह:

- एएनएम/एलएचवी/एसएन के द्वारा प्रसवपूव देखभाल तथा जन्म के समय कुशल सहायता।
- गभावस्था देखभाल तथा प्रसव संबंधी सामान्य जटिलताओं के प्रबंधन म चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- दक्षता प्रशिक्षण
- लक्ष्य- प्रसव कक्ष को गुणवत्ता म सुधार संबंधी प्रयास

(ख) और (ग): एनएफएचएस 4 के अनुसार केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने 99.99% को संस्थागत प्रसव दर अजित कर ली है। संस्थागत प्रसव के संबंध म राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत आंकड़ा अनुलग्नक पर दिया गया है।

(घ): मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों को वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं ह:

- □□□□□□- □□□□ □□क्ष□ □□□□□- संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधा कद्रों/प्रत्यायित निजी संस्थाओं म सभी बीपीएल/एससी/एसटी प्रसव वाली गभवती महिलाओं को सशत नकदी अंतरण के रूप म वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
- □□□□□□□-जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम- इसम सिर्जेरियन सेक्शन सहित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों म प्रसव कराने वाली सभी गभवती महिलाओं को पूण रूप से निःशुल्क तथा कोई खच किए बिना प्रसव कराने के लिए अधिकृत किया गया है। इस पात्रता म निःशुल्क औषधियां, एवं उपभोज्य, निःशुल्क आहार, निःशुल्क रोगनिदान, निःशुल्क रक्त एवं निःशुल्क परिवहन शामिल है। उसी प्रकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों म उपचार हेतु जाने वाले एक वष को आयु के सभी बीमार शिशुओं को भी समान अधिकार दिया गया है।
- □□□□□□ f□□- मंत्रालय एमसीएच सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उच्च प्रसव भार वाले सुविधा कद्रों म 100/50/30 अत्याधुनिक बडों वाले एमएसएच विगों को स्थापना करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- □क्ष□- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "लक्ष्य- प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल" शुरू को है। लक्ष्य कायक्रम प्रसव कक्षों और मातृ ऑपरेशनों से संबंधित मुख्य प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कद्रित और लक्षित दृष्टिकोण है। यह संस्थागत प्रसव के लिए चयन किए जाने के लिए समुदाय म मांग म वृद्धि करेगा।
- कमचारियों का क्षमता निमाण- मंत्रालय प्रसव के दौरान प्रदान को जाने वाली सेवाओं को गुणवत्ता म सुधार करने के लिए संबंधित राज्यों के दक्षता, बीईएमओसी, सीईएमओसी जैसे विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करने के उनके प्रस्ताव के अनुसार उन्ह वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- प्रसव कक्ष का मानक निधारण- मंत्रालय संबंधित राज्य को सुविधा कद्रों म एमसीएच सेवाओं म सुधार करने हेतु प्रसव कक्षों को सुदृढ़ करने के उनके प्रस्ताव के अनुसार उन्ह वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

□□□□□

□□ज□	□स□□□□ □न□ (%) □□□□□□□□□ 4 (2015-16)
केरल	99.9
लक्षद्वीप	99.9
पुडुचेरी	99.9
तमिलनाडु	99
गोवा	96.9
अण्डमान और निकोबार	96.6
सिक्किम	94.7
कनाटक	94.3
आंध्र प्रदेश	91.6
चंडीगढ़	91.6
तेलंगाना	91.5
पंजाब	90.5
महाराष्ट्र	90.3
दमन और दीव	90.1
गुजरात	88.7
दादरा और नगर हवेली	88
जम्मू और कश्मीर	85.7
ओडिशा	85.4
दिल्ली	84.4
राजस्थान	84
मध्य प्रदेश	80.8
हरियाणा	80.5
मिजोरम	80.1
त्रिपुरा	79.9
हिमाचल प्रदेश	76.4
पश्चिम बंगाल	75.2
असम	70.6
छत्तीसगढ़	70.2
मणिपुर	69.1
उत्तराखंड	68.6
उत्तर प्रदेश	67.8
बिहार	63.8
झारखंड	61.9
अरुणाचल प्रदेश	52.3
मेघालय	51.4
नगालड	32.8